COURT FEE INDIA 20 Rs. बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक /09–10 /निगरानी (मुरैना) R-1248-II/2010

1. रामबाबू
2. गजराज सिंह पुत्रगण भगवान सिंह जाति गुर्जर (ठाकुर) निवासी किलौल सिंह का पुरा
3. द्वारिका सिंह
4. लक्ष्मण सिंह
5. रघुवीर सिंह पुत्रगण राजाराम सिंह सभी जाति गुर्जर (ठाकुर) निवासी टिकटोली बड़ा पुरा परगना जौरा जिला मुरैना

................आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार जौरा
2. श्रीमती अंगूरी पत्नी बाबू सिंह जाति गुर्जर (ठाकुर) निवासी टिकटोली बड़ा पुरा परगना जौरा जिला मुरैना

............अनावेदकगण/रेस्पॉंडेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 12/8/10 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 80/09–10/निगरानी व उनमान श्रीमती अगूरी बनाम रामबाबू आदि से व्यथित होकर प्रस्तुत ।

माननीय न्यायालय

निगरानीकर्तागण की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण की पुश्तोनी सह स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे कमांक 1466 स्थित ग्राम टिकटोली परगना जौरा जिला मुरैना रकवा 0.67 हेक्टर है।
2. यह कि, उक्त भूमि का बन्दोवस्त सन् 1998–99 मे करने पर भूमि का सर्वे नम्बर 1466 को बदलकर 3132 किया गया है तथा वर्तमान मे प्रार्थीगण की उक्त भूमि का नवीन सर्वे कमांक 31–32 ग्राम टिकटोली तहसील जौर जिला मुरैना है ।
3. यह कि, बन्दोवस्त सन् 1997–98–99 के अक्श मे पूर्व सम्बद्ध 1993 अर्थात सन् 1936 के नक्शे से नवीन सर्वे नम्बर का नक्शा परिवर्तित

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.1248-II/10 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-16.	प्रकरण में कोई स्था. [illegible] आवेदक दिनांक 16-2-12 से निरंतर अनुपस्थित है। उसे अंतिम अव. रह रहा है। नहीं पाया परन्तु कोई बार सूचना भी दी जा चुकी है। आवेदक उप. नहीं हो रहा है। आवेदक की ओर से आवश्यक रुचि भी नहीं ली [illegible] द्वारा शासकीय भूमि [illegible] दिनांक 6-9-2010 को प्रकरण में दिनांक [illegible] निरस्त जारी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अनुरोध [illegible] निगरानी अस्वीकार। आवश्यक रहित की अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 6-9-2010 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। की [illegible] यदि कलेक्टर इस आदेश की [illegible] जाते हुए गुना को [illegible] कार्यवाही करने प्रकरण में [illegible] किया जाता है। [illegible] आदेश [illegible] से [illegible] प्रकरण [illegible] [illegible] सूचित किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.